प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्र. 202 / 2007

अपीलार्थीगण यवनेश कुमार साहू एवं अन्य

विरूद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

श्री मलय भादुड़ी अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता

श्री प्रवीण दास प्रत्यर्थी/ राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत दाण्डिक अपील

निर्णय

(दिनांक 03/01/2011)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) द्वारा सत्र परीक्षण क्र. 203/2002 के दौरान दिनांक 27/7/2007 को पारित निर्णय के विरुद्ध है, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के तहत दोषी ठहराया गया था और उनमें से प्रत्येक को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अभियोजन पक्ष के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतका सविता का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.-1 यवनेश कुमार साहू के साथ मई 2000 में संपन्न हुआ था। अपीलार्थी क्र.-2 भरोसा राम साहू, अपीलार्थी क्र.-3 बासन बाई साहू और अपीलार्थी क्र.-4 सविता बाई क्रमशः मृतका के ससुर, सास और ननद हैं। दिनांक 20.7.2001 को मृतका सविता की मृत्यु जहर के सेवन से हुई। मृतका के पति द्वारा मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-4) दी गई थी और मृतका के पिता खोरबहरा राम साहू द्वारा दिनांक 21.7.2001 को दी गई लिखित शिकायत के आधार पर, उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की गई। उक्त लिखित शिकायत में मृतका के पिता द्वारा यह

कथन किया गया है कि पर्याप्त दहेज न लाने के कारण अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उनकी पुत्री की हत्या की गई है। विवेचना के पश्चात, अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 25.10.2001 को चालान (आरोप-पत्र) प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध ठहराने के प्रयोजन से, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल 10 साक्षियों का परीक्षण किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के कथन भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले में झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में दो साक्षियों, क्रमशः भरोसा राम (ब.सा.-1) और भाव सिंह साहू (ब.सा.-2) का परीक्षण कराया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को उपरोक्त वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और दंडित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उभय पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया तथा आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थियों के अधिवक्ता का तर्क है कि निसंदेह पीड़िता की मृत्यु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किंतु केवल इसी आधार पर अपीलार्थिगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क या 304-ख के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि खोरबहरा राम साहू (अ.सा.-1) और पार्वती साहू (अ.सा.-2), जो कि मृतका के माता-पिता हैं, ने अपनी पुत्री को खो दिया है, इसलिए उन्होंने दहेज की मांग के लिए क्रूरता का आरोप लगाते हुए अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध एक झूठी शिकायत दर्ज कराई है। उनका यह भी तर्क है कि केवल निराधार आरोपों के आधार पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क या 304-ख के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि किसी भी साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतका से कोई मांग की थी या किस अवसर पर किसके द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी। उनका यह तर्क है कि फुकेश्वरी (अ.सा.-3), जो मृतका की कथित सहेली है, एक प्रशिक्षित की गई साक्षी प्रतीत होती है और

उसके संपूर्ण कथन के पठन से यह स्पष्ट होता है कि उसने न्यायालय के समक्ष सत्य कथन नहीं किया है। वह यह भी तर्क देते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित नहीं की गई थी। उनका यह तर्क है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में अभियुक्तगण / अपीलार्थीगण के विरुद्ध किसी भी आरोप के अभाव में, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 304-ख के तहत दोषसिद्ध करना न्यायालयों के लिए सुरक्षित नहीं होगा।अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थिगण के अधिवक्ता ने **अमर सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य**, जो **2010 एआईआर एससीडब्ल्यु 5141** में प्रकाशित किया गया है, तथा **दुर्गा प्रसाद व अन्य विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य**, जो **2010 एआईआर एससीडब्ल्यु 3673** में प्रकाशित किया गया है, के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है तथा यह निवेदन किया है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अत्यंत विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं तथा खोरबहरा राम साहू (अ.सा.-1), पार्वती साहू (अ.सा.-2) और फुकेश्वरी (अ.सा.-3) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई थी। इसके अतिरिक्त, उनका यह निवेदन है कि घटना के ठीक अगले ही दिन मृतका के पिता द्वारा अत्यंत त्वरित शिकायत दर्ज कराई गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों को फंसाया जाना एक पचातवर्ती विचार है। वह यह भी तर्क देते हैं कि यद्यपि साक्षियों ने क्रूरता के उदाहरणों या दहेज की मांग का विस्तार से वर्णन नहीं किया होगा, परंतु एक बार जब इस आशय का आरोप लगा दिया गया है, तो इस न्यायालय के पास उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उनका यह तर्क है कि मृत्यु से ठीक पहले अर्थात् दि.12.07.2001 को, मृतका ने अपने पिता खोरबहरा राम साहू (अ.सा. -1) से अभियुक्तगण / अपीलार्थीगण द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में शिकायत की थी, जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता कारित किया गया था। वह यह भी तर्क दिया गया कि फुकेश्वरी (अ.सा.-3) एक स्वतंत्र साक्षी है और उसके पास अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। अंततः, उनका यह तर्क है कि यद्यपि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित या अभियोजित नहीं किया गया है, फिर भी वे किसी लाभ के हकदार नहीं हैं। संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न भेजने के संबंध में, वे तर्क देते हैं कि यह कोई अवैधता नहीं बल्कि मात्र एक प्रक्रियात्मक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनियमितता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। अतः, उन्होंने यह तर्क दिया है कि यहाँ सभी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्पष्ट आरोप हैं, इसलिए उन्हें निर्णय में दिया गया दोषसिद्धि और दंडादेश पूर्णतः विधि के अनुसार है और अपील में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. दिनांक 21.07.2001 को दी गई अपनी लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में, खोरबहरा राम साहू (अ.सा.-1) ने अभियुक्त/ अपीलार्थी क्र.-2-भरोसा राम साहू, जो मृतका के ससुर हैं, के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि विवाह के पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.-1 यवनेश कुमार साहू, अपीलार्थी क्र.-3 बासन बाई साहू और अपीलार्थी क्र.-4 सविता बाई मृतका को यह कहते हुए गाली देते थे और मारपीट करते थे कि वह एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती है और उसके पिता ने विवाह में सोना-चांदी नहीं दिया था। उन्होंने यह कथन किया है कि अभियुक्तों के इस कृत्य के कारण उनकी पुत्री अत्यंत दुखी थी और दिनांक 12.07.2001 को, जब वे उससे मिलने गए थे क्योंकि वह पांच माह की गर्भवती थी, तब उनकी पुत्री ने उनसे खुद को साथ ले जाने के लिए कहा था क्योंकि उसे यह आशंका थी कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने यह कथन किया है कि तत्पश्चात उन्हें अपने रिश्तेदारों से यह सूचना प्राप्त हुई कि उनकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली है। अपने न्यायालयीन कथन में इस साक्षी ने यह कहा है कि सभी अभियुक्त / अपीलार्थीगण मृतका पर यह कहते हुए तंज कसते थे कि विवाह में सोना-चांदी नहीं दिया गया है और वे उसके साथ मारपीट भी करते थे। इसके पश्चात, उन्होंने कथन किया है कि अभियुक्त / अपीलार्थी क्र.-1 और अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.-4 मृतका को गाली-गलौज किया करते थे। उन्होंने पुन: दोहराया है कि दि. 12.07.2001 को जब वे अपनी पुत्री से मिलने गए थे, तब उसने उन्हें सूचित किया था कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरता की जा रही है और उसने उनसे उसे अपने घर ले जाने का अनुरोध किया था, अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। प्रति-परीक्षण में, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह साहू समुदाय से संबंधित है, जिसमें दहेज की कोई प्रथा नहीं थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण विवाह तय करने के लिए उसके घर आए थे, तब दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। उसके अनुसार, विवाह के समय भी उनके द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण को यह जानकारी थी कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और वे उसकी पुत्री, अर्थात् मृतका को देखने के तुरंत बाद विवाह के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने कथन किया है कि *तीजाउत्सव* की पूर्व संध्या पर जब वे और उनके 8-10 रिश्तेदार उनकी पुत्री अर्थात्

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मृतका को लेने गए थे, तब अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था और उन्होंने यह कहते हुए मृतका को उनके साथ भेज दिया था कि वे उसे केवल 8-10 दिनों के लिए ले जा सकते हैं, परंतु मृतका उनके घर पर लगभग एक महीने तक रुकी रही और इस अवधि के दौरान वह पड़ोसियों के घर भी जाया करती थी और खुश महसूस कर रही थी। इसके पश्चात, इस साक्षी ने कथन किया है कि जब वह अपनी पुत्री को लेने गया था, तब उसे और अन्य रिश्तेदारों को मृतका द्वारा सूचित किया गया था कि अभियुक्तगण / अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरता की जा रही है । बाद में, अपने कथन को पुन: बदलते हुए उसने कहा है कि क्रूरता की शिकायत मृतका द्वारा उसके घर पहुँचने के बाद की गई थी और उसका पिछला कथन गलती से हो गया था। कंडिका क्र. 4 में उसने कथन किया है कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) उसके द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि उसके बोले अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और उसने केवल उस पर हस्ताक्षर किए थे। इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.-2 भरोसा राम साहू अपनी पुत्री के साथ भिलाई में रह रहे हैं, क्योंकि वे भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। उन्होंने यह भी कहा है कि शव पंचनामा के समय उन्होंने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया था, क्योंकि उनसे ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे। उन्होंने कथन किया है कि मृतका का तेरहवीं संस्कार अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा ही संपन्न किया गया था और तब तक उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. पार्वती साहू (अ.सा.-2) - मृतका की माता ने लगभग वही बातें कही हैं जो उनके पति खोरबाहरा राम साहू (अ.सा.-1) द्वारा कही गई हैं। उन्होंने कथन किया है कि जब तीजा उत्सव की पूर्व संध्या पर मृतका उनके घर आई थी, तो उसने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम मेले के समय मृतका उनके घर आई थी और उसने बताया था कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी। इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जब उनकी बेटी का विवाह तय हुआ था और विवाह के समय भी, दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी बेटी उनके पति को कभी कुछ नहीं बताती थी और केवल उन्हें ही बातें बताया करती थी। उन्होंने बताया कि तीन अवसरों पर उनके दामाद, अर्थात् यहाँ अपीलार्थी क्र. 1, मृतका के साथ उनके घर आए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि साहू समाज में यदि ऐसी कोई घटना होती है, तो मामले की सूचना समाज के प्रमुख को दी जाती है और अंततः उस परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता है। हालाँकि,

वर्तमान मामले में, साहू समाज के प्रमुख को ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। फुकेश्वरी (अ.सा.-3) - मृतका की तथाकथित सहेली ने अपने साक्ष्य में कहा है कि विवाह के बाद जब मृतका उसके गाँव आई थी, तो उसने उसे सूचित किया था कि उसके पति अर्थात् यहाँ अपीलार्थी क्र.1 उसे यह कहकर फटकार लगाई जाती थी कि उसके माता-पिता ने विवाह में सोना और चाँदी नहीं दिया था। इस साक्षी के अनुसार, मृतका की सास और ससुर भी उसे अपशब्द कहते थे। इस साक्षी ने कथन दिया है कि मृतका ने उसे बताया था कि जब भी उसका ससुर भिलाई आता था, तो उसके प्रति ससुर का व्यवहार अच्छा नहीं होता था। उप-निरीक्षक - महेश सिन्हा (अ.सा.-4), जिन्होंने मृतका के पिता से लिखित शिकायत प्राप्त की थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, उन्होंने अपने कथन के कंडिका क्र.6 में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु-समीक्षा के समय मृतका के पिता उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध क्रूरता या दहेज की मांग के संबंध में कोई शिकायत नहीं की। उसने (अ.सा.-4) आगे यह भी कथन दिया है कि चूंकि मृतका के पिता द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी, इसलिए मृतका द्वारा पहने गए आभूषण अभियुक्त/अपीलकर्ता क्र. 1 को दे दिए गए थे, जो मृतका का पति था। उसने यह भी कहा कि जहाँ मृतका के रिश्तेदारों ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं, वहीं पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। उसने (अ.सा.-4) यह भी कथन दिया है कि मृतका की गर्भावस्था के दौरान, अभियुक्तों द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। तामलाल (अ.सा.-5), जो जहर का सेवन करने के बाद मृतका को अस्पताल ले जाते समय अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के साथ था, उसने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। उसने कथन दिया है कि मृतका को अस्पताल ले जाया गया था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। कीर्तिनारायण सुधाकर (अ.सा.-6) पटवारी है जिसने घटनास्थल का मानचित्र (प्रदर्श पी.-7) तैयार किया था। मेहत्तर (अ.सा.-7) ग्राम *कोटवार* है और उसने भी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। डॉ. रेणुका प्रसन्नो (अ.सा.-8), जिन्होंने मृतका का मरणोपरांत परीक्षण किया था, उन्होंने कथन दिया है कि उन्हें मृतका के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं मिली। उप पुलिस अधीक्षक बंशीलाल कुर्रे (अ.सा.-10) अन्वेषण अधिकारी हैं और उन्होंने इस तथ्य का समर्थन किया है कि उन्होंने इस मामले का अन्वेषण किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. भरोसा राम (ब.सा.-1), जो यहाँ अपीलार्थी क्र. 2 हैं, ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे और घटना के समय अपनी पत्नी बासन बाई (अपीलार्थी क्र. 3) और पुत्री सबिता (अपीलार्थी क्र. 4) के साथ भिलाई में ही रह रहे थे। उन्होंने कथन दिया है कि वह जिस साहू समाज से संबंध रखते हैं, उसमें दहेज की कोई प्रथा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतका अपने पति के साथ अलग रह रही थी। एक अन्य बचाव पक्ष के साक्षी भाव सिंह साहू (ब. सा.-2) ने भी कथन दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 भरोसा राम अपनी पत्नी और पुत्री के साथ दुर्ग में रह रहे थे और साहू समाज में दहेज की कोई प्रथा नहीं थी।

11. अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि खोरबाहरा राम साहू (अ.सा.-1), पार्वती साहू (अ.सा.-2) और फुकेश्वरी (अ.सा.-3) द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं, यदि उनके संपूर्ण कथनों को संज्ञान में लिया जाए, तो यह एक संदेह उत्पन्न करता है कि मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण /अपीलार्थीगण द्वारा की गई क्रूरता के कारण हुई थी। इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.1 के साथ तभी संपन्न हुआ था, जब अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने उसे देख लिया था। साक्षियों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण मृतका के माता-पिता की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में भली-भांति अवगत थे। साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि जब खोरबाहरा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण के घर का गए थे, तब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। साथ ही, मृतका के 8-10 रिश्तेदारों द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के घर जाने के समय क्रूरता किए जाने के आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका है। पार्वती साहू (अ.सा.-2) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका केवल उन्हें ही बातें बताया करती थी और उनके पति को नहीं, जबकि इसके विपरीत, खोरबाहरा (अ.सा.-1) ने कथन दिया है कि मृतका ने उन्हें अभियुक्तों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में सूचित किया था। किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं दिया है कि किस अभियुक्त ने मृतका के साथ मारपीट की थी या उससे कोई मांग की थी। साक्षी वह विशिष्ट तिथि बताने में भी विफल रहे हैं जिस दिन अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी। यद्यपि खोरबाहरा (अ.सा.-1) ने कथन दिया है कि घटना की तारीख से लगभग 8 दिन पहले वह मृतका के घर गया था जहाँ उसे क्रूरता के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा उक्त कथन पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा क्रूरता की गई थी। दहेज मृत्यु के अनिवार्य तत्व दहेज के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न हैं, और केवल दहेज की मांग करना भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और 498-क के तहत अपराध नहीं होगा। अमर सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

> "23. .....इस प्रकार, अमर सिंह के मामले में उसके उस सटीक आचरण के संबंध में साक्ष्य मौजूद थे, जिसके कारण मृतका का उत्पीड़न हुआ था, लेकिन जगदीश और गोर्धनी के मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। अभियोजन पक्ष का वह साक्षी जो केवल "उत्पीड़ित" या "प्रताड़ित" शब्द का उपयोग करता है और अभियुक्त के उस सटीक आचरण का वर्णन नहीं करता है, जो उसके अनुसार, उत्पीड़न या प्रताड़ना की श्रेणी में आता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के मामलों में न्यायालय द्वारा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसी कारण उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि जगदीश और गोर्धनी के विरुद्ध आरोप तर्कसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं हुए हैं और उनका मामला अमर सिंह के मामले से भिन्न है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश और गोर्धनी को केवल इसलिए फँसाया गया क्योंकि वे अमर सिंह के परिवार के सदस्य थे।"
>
> "24.....कंस राज विरूद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य [(2000) 5 एससीसी 207] : (एआईआर 2000 एससी 2324 : 2000 एआईआर एससीडब्ल्यु 2093), के मामले में, इस न्यायालय ने आगाह किया था कि जिन मामलों में दहेज मृत्यु के आरोप लगाए जाते हैं, वहाँ पति के अलावा अन्य व्यक्तियों के जिम्मे मढ़े गए प्रत्यक्ष कृत्यों को तर्कसंगत संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है। केवल अनुमानों और निहितार्थों के आधार पर ऐसे रिश्तेदारों को दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की कि दहेज मृत्यु के मामलों में मृतका पत्नियों के ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदारों को घसीटने की एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है, जिसे यदि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हतोत्साहित नहीं किया गया, तो यह वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध भी अभियोजन के मामले को प्रभावित कर सकती है।"

12. इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार किया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है; इस तथ्य को अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-10) ने भी स्वीकार किया है। यह भी अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह उत्पन्न करता है। इसके अलावा, फुकेश्वरी (अ.सा.-3) का कथन सुधारा हुआ प्रतीत होता है और इसलिए इस न्यायालय के लिए इसे अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने का आधार बनाना सुरक्षित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में किसी भी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। अधीनस्थ अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही है कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 से 4, जो मृतका के ससुराल वाले थे, दुर्ग में अलग रह रहे थे, क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र. 2 भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। इस तथ्य को खोरबाहरा (अ.सा.-1) और दो बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कोई भी निर्णायक साक्ष्य लाने में विफल रहा है। मृतका के माता-पिता और सहेली के साक्ष्य तात्विक विवरणों में परस्पर विरोधी होने के कारण अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को यथावत् रखना पर्याप्त नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ निश्चित रूप से अभियुक्तों को मिलना चाहिए।

14. तद्नुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर बताए गए हैं। उनके जमानत-बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

हस्ताक्षर

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Neeta Verma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur